



2026:AHC:36030

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी याचिका सं - 709/2026

अशोक कुमार सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: राम मणि उपाध्याय, शिवनग शुक्ला

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज कुमार गुप्ता

न्यायालय क्रमांक - 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के लिए विद्वान राज्य स्थायी अधिवक्ता श्री शैलेश श्रीवास्तव और प्रतिवादी-ग्राम सभा के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

"न्यायालय परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करे, जो प्रतिवादी सं.2

को आदेश दे कि वह द्वितीय अपील सं.2614/2022 (कंप्यूटरीकृत मामला सं.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एएल20221714002614) (शिव कुमार सिंह बनाम कृष्णा कुमार सिंह), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 208 के अंतर्गत, जो उसके समक्ष लंबित है, का निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय करे।"

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कथन है कि द्वितीय अपील, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अंतर्गत कार्यवाही से उत्पन्न हुई है, प्रतिवादी सं.4 द्वारा याचिकाकर्ता को विपक्षी बनाकर दायर की गई है, जो राजस्व बोर्ड के समक्ष 2022 से लंबित है। वह यह दर्शाने के लिए लंबित कार्यवाही की आदेश-पत्र की प्रति भी प्रस्तुत करते हैं कि मामला शीघ्रता से आगे नहीं बढ़ रहा है।

4. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह याचिका प्रतिवादी सं.2/राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को यह निर्देश देते हुए निस्तारित की जाती है कि वह उपरोक्त कार्यवाही को यथाशीघ्र, अधिमानतः संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 4 माह की अवधि के भीतर, संबंधित पक्षकारों को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार तार्किक निष्कर्ष तक निर्णीत करे।

18 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”